न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 111/2015

कालूराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री रामप्रताप तिवाडी
2. पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांकः 07.08.2019

1. यह अपील बहुकम तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के निणर्य दिनांक 15.09.2015 प्र.स. 19/2015 के विरूद्ध इस न्यायायल मे प्रस्तुत की गई। अपील में अपीलांट ने निवेदन किया है कि मातहत न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश में रोही सरदापुरा खर्था के खसरा न. 174, 205/4 में 6.578 है0 में 1/9 हिस्सा खातेदारी भूमि है। जिसको अपीलांट काश्त करता आ रहा है। इस रकबे के चिपता रकबा खसरा न. 165 का है जिस पर अपीलांट को अदालत मातहत द्वारा द्वारा 5.00 बीघा भूमि की नजायज काश्त का काश्तकार मानकर धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत कार्यवाही कर अपीलांट को बिना सुने पीठ पीछे उसे पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 3 माह का सिविल कारावास एवं 50 गुणा तावान 127/– रूपये व मौका पर खडी फसल को नष्ट कर उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश पारित कर दिये। धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 मे यह प्रावधान है कि प्रश्नगत भूमि से फसल उठाने का मौका दिया जाना चाहिये, इसके बाद भी फसल नहीं उठाता हे तो फसल कुर्क व जुर्माना कायत होगा। अदालत मातहत ने अपीलांट को एक स ा तीन सजाये दी है तो पूर्णतया गलत है। चूंकि उक्त भूमि प्रार्थी की भूमि के समीप स्थित है व रकबा खसरों में है इसलिए सीमा ज्ञान नही होने के कारण 2–3 बीघा ज्यादा काश्त हो गई है। प्रार्थी जैर अपील रकबा छोडने को तेयार है। वर्तमान मे फसल बरसात के अभाव में खत्म हो गई है इसलिए मातहत अदालत का फैसला निरस्ती योग्य है।
2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 111/15 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की और से श्री अधिवक्ता श्री रामप्रताप तिवाडी उपस्थित हुए एवं राजपेरोकार उपस्थित आए। बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया मातहत अदालत ने अपीलांट को सुने बिना ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लिया एवं एक साथ तीन–तीन सजाये सुना दी। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही समस्त कार्यवाही की गई है। उक्त रिपोर्ट भी रजिंशवंश की गई है। वादग्रस्त भूमि का मौका जांच भी नही की गई, व न ही पटवारी

Scanned by CamScanner

के बयान लिये गये । उक्त तमाम कार्यवाही नियम विरूद्व की गई है, क्योंकि धारा 22 कालो. एक्ट 1954 में फैसला पारित करने से पूर्व फसल उठाने व सुनने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए । एक साथ तीन तीन सजाए नहीं दी जा सकती न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का फैसला गलत है। जैर अपील रकबा अपीलांट के नाम की भूमि रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 174, 205/4 में 6.578 है0 में 1/9 हिस्सा के समीप स्थित है अपीलांट ने अपने नाम की भूमि को ही काश्त किया है चूंकि रकबा खसरों में है इसलिए सीमा ज्ञान नहीं होने से 2–3 बीघा ज्यादा काश्त हो गया है। जो अपीलांट छोडने को तैयार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

3. राज पैरोकार ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट पटवारी सही है। अपीलांट के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया । चूंकि तहसीलदार, सूरतगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 15.9.2015 में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है। बहस में अपीलांट की तरफ से यह भी कथन किया गया है कि उसने उक्त भूमि को अपने खसरे का रकबा मानकर इस रकबा पर काश्त कर ली है। जिसे वह छोडने को तैयार है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ का निर्णय यथावत रखते हुये उसमें आंशिक संशोधन करते हुए सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट भविष्य में राजकीय भूमि पर कभी अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करे, जो तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा तस्दीक करवाया जावे। व अपीलांट तुरन्त प्रभाव से अपना कब्जा हटा लेवे। अधीनस्थ न्यायालय के जारी निर्णय के शेष आदेश यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner